

-श्रीशिवजी  
13/03/14

9410136165

संख्या- 831/xxiv(7)/2014-06(घो.)/12

प्रेषक,

मनीषा पंवार  
संचित  
उत्तराखण्ड शारान।

सेवा में,

निदेशक,  
उच्च शिक्षा,  
इल्हानी नैनीताल।

शिक्षा अनुभाग-7(उच्च शिक्षा)

देहरादून दिनांक 04-मार्च, 2014

विषय:- राजकीय महाविद्यालय सितारगंज में स्नातक स्तर पर कला संकाय के कक्षाओं के संचालन हेतु शिक्षक/शिक्षणेत्तर पदों का सृजन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय के पत्र संख्या : डिग्री प्लान/4108/2012-13 दिनांक 11.07.2012 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय महाविद्यालय सितारगंज की स्थापना एवं महाविद्यालय में स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत निम्नविवरणानुसार शिक्षक/शिक्षणेत्तर कार्मिकों के पदों का सृजन शासनादेश निर्गत होने की तिथि अथवा नियुक्ति की तिथि जो भी बाद में हो, से दिनांक 28 फरवरी, 2015 तक (बशर्ते कि ये पद इसके पूर्व समाप्त न कर दिये जायें) के लिये सृजित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

क्र.सं.	पदनाम	वेतन-मान रु. में	ग्रेडवेतन रु. में	पदों की संख्या
1	प्राचार्य	37400-67000	10000	01 एक
2	असिस्टेंट प्रोफेसर-हिन्दी	15600-39100	6000	01 एक
3	असिस्टेंट प्रोफेसर-अंग्रेजी	15600-39100	6000	01 एक
4	असिस्टेंट प्रोफेसर-इतिहास	15600-39100	6000	01 एक
5	असिस्टेंट प्रोफेसर-राजनीतिशास्त्र	15600-39100	6000	01 एक
6	असिस्टेंट प्रोफेसर-समाजशास्त्र	15600-39100	6000	01 एक
7	असिस्टेंट प्रोफेसर-शिक्षाशास्त्र	15600-39100	6000	01 एक
8	सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष	5200-20200	2800	01 एक
9	प्रधान सहायक	5200-20200	2800	01 एक
10	कनिष्ठ सहायक	5200-20200	2000	02 दो
11	पुस्तकालय लिपिक	5200-20200	2000	01 एक
12	बुक लिप्टर			01 एक
13	अनुसूचक		आउटसोर्स के माध्यम से	02 दो
14	स्वच्छक/चौकीदार			02 दो
	कुल योग-			17 पद

2- उक्त पद राजकीय महाविद्यालय सितारगंज को महामहिम कुलाधिपति से सम्बन्धता के आदेश प्राप्त होने के उपरान्त प्रभावी माने जायेंगे।

3- उपरोक्त तालिका में सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष के पद संबंधित संवर्ग में अस्थाई वृद्धि के रूप में माने जायेंगे तथा इन पद धारकों को समय-समय पर शासन द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होंगे।

प्रमाणित  
Principal  
Govt. Degree College  
Sitarganj (U.S.Nagar)

2/

4- सृजित पदों के सापेक्ष सुसंगत सेवानियमावली के आलोक में नियमानुसारे नियुक्ति की जायेगी। तथा आउटसोर्सिंग के पदों पर उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के विहित प्राविधानों के अनुसार कार्य सम्पादित कराया जायेगा।

5- उक्त पदों के सृजन आदि पर होने वाला व्यय अनुदान संख्या-11 के आयोजनागत पक्ष में लेखाशीर्षक-2202-सामान्य शिक्षा-03-विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा-103- राजकीय कालेज तथा संस्थान-08-नये राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना की सुसंगत इकाइयों से वहन किया जायेगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-420/xxvii(7)/2013 दिनांक 30 मई, 2013 में प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीया,

(मनीषा पंवार)

सचिव

पूरा (1)/xxiv(7)/2014-06(घो.)/12तददिनांक।


प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- लेखाधिकारी, उच्च शिक्षा निदेशालय, हल्द्वानी।
- 3- कोषाधिकारी संबंधित कोषागार।
- 4- निदेशक, एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड।
- 5- वित्त अनुभाग-3/नियोजन विभाग उत्तराखण्ड शासन।
- 6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार पाण्डे)

अनु सचिव

  
Principal  
Govt. Degree College  
Silarganj (U.S.Nagar)